FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला–झालावाड़ (राज.)

रामप्रसाद **बनाम** लक्ष्मीनारायण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र **नं.** 58 **सन्** 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
25/9/20	प्रार्थी द्वारा R.T.Act. की धारा 212 के तहत जरिये एडवोकेट प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। उपस्थित प्रार्थी एवं अधिवक्ता को सुना गया। प्रकरण की आकस्मिकता को देखते हुए जरिये कार्यवाही निषेधाज्ञा से आगामी तारीख 6.10.20 तक अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम हेमड़ा की जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 662 की आराजी किता 8 रकबा 8.5490 हेक्टर भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 6.10.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.16 16:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/20	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रा.प. पेश किया एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी की ओर से दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर चाहा गया जो दिया गया। पत्रावली दिनांक 15.10.20 को पेश हो।	हरिप्रसाद रामेश्वर
15/10/20	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है, जो कि बाप दादा से प्रतिवादी सं. 1 के खाते दर्ज हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी में वादी का हक व हिस्सा जन्म से ही निहित है। वादी सं. 1 उक्त आराजी में अपना नाम दर्ज होने से बेचान करने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.16 16:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
पर आमदा है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जे रहन दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी के हक में किये गये अंतरिम आदेश की आड़ में वादी बेदखल करना चाहता है। वादग्रस्त आराजी का किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द नहीं किया जा रहा है। पारिवारिक बटवांरा अनुसार ख० न० 168 रकबा 2.0361 वादी को पूर्व से ही दिया हुआ है, जिस पर काबिज काश्त है। वादी द्वारा इस बात से कभी इंकार नहीं किया है कि वह ख०न० 168 पर काबिज नहीं है। हिन्दू विधि अनुसार वादी का जितना हिस्सा बनता है उतने पर वह काबिज काश्त है। वर्तमान में वादी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। खातेदारी अधिकार एवं हिस्सा मूल वाद मे साक्ष्य आने के उपरान्त तय होगें ऐसे मे सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश दिया जाना प्रतिवादी सं. 1 खातेदार के हितो के विरुद्ध है। स्थगन आदेश निरस्त कर वादी का प्रा०पत्र खारिज किया जावें। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर यह पाया है कि प्रतिवादी सं.1 वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, एवं पारिवारिक सेटलमैंट अनुसार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.16 16:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	वादी को ख०नं० 168 रकबा 2.0361 दिया हुआ है जिस पर वह काबिज काश्त है। इस प्रकार सम्पूर्ण वाद ग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का प्रा०पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ता फैसला मूल वाद तक ग्राम हेमड़ा की वादग्रस्त आराजी ख०नं० 168 रकबा 2.0361 को किसी प्रकार का बेचान, रहन या खुर्द-बुर्द नहीं किया जावे एवं खाता सं. 662 की शेष आराजी किता-7 रकबा 6.5129 है० भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.16 16:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner